प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	जारी आदेश दि. 13/5/25 वास्ते जवाब बन्द करने बाबत को अपास्त कर प्रार्थी को जवाब प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। वकील अप्रार्थी ने प्रा.पत्र पर सीधे बहस कर निवेदन किया कि न्याया० द्वारा पारित निर्णय दि. 13/5/25 वास्ते जवाब बन्द करने बाबत को अपास्त करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्याया. को नहीं होने से प्रार्थी का प्रा० पत्र U/S 151 CPC निरस्त फरमाया जावे। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। इस न्याया० द्वारा पारित आदेश दि. 13/5/25 को अपास्त करने का अधिकार इस न्याया० को प्रदत्त नहीं होने से प्रा० पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। बहस प्रा० पत्र अन्तिम सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 29/10/25 को पेश हो।	
29/10/25	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। प्रा० पत्र प्रार्थीगण LR Act की धारा 131/136 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

.ल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
3/प्रा.पत्र/2023	05.01.2023	29/10/2025

सत्यनारायण उम्र 45 वर्ष आ0 केसरा जी जाति धाकड निवासी ग्राम कराड का बरधा तहसील तालेडा जिला बून्दी

प्रार्थी

बनाम

1. चान्या बाई उम्र 45 वर्ष पत्नी कालू लाल जाति गुर्जर नि. ग्राम कराड़ का बरधा तह. तालेड़ा जिला बून्दी, राज.
2. सुगना बाई उम्र 45 वर्ष पुत्री जूवारा पत्नी सत्यनारायण जाति धाकड़ निवासी ग्राम कराड़ का बरधा हाल निवासी बड़ुन्दा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेड़ा जिला बून्दी।
4. बनवारी पुत्र श्रीलाल
5. मुकेश पुत्र श्रीलाल
6. हनुमान पुत्र श्रीलाल जातियान धाकड़ निवासीगण ग्राम कराड़ का बरधा तहसील तालेडा जिला बून्दी,राज0

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादीः– श्री अखिलेश जैन
अधिवक्ता प्रतिवादीः–

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट में प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की भूमि खाता संख्या नया 114 पुराना 104 ख.सं. 607/333 रकबा 0.8498 हैक्टयर किस्म नहरी द्वितीय वाके ग्राम कराड का बरधा पटवार हल्का ठीकरिया चारणान तहसील तालेडा जिला बून्दी में स्थित है। जिसमें प्रार्थी काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रार्थी की कृषि भूमि ख.सं. 607/333 रकबा 0.8498 हैक्टे. पर वर्तमान में काबिज होकर काश्त कर रहा है। उक्त ख.सं.न. के ऑन लाईन से पूर्व खसरा सं. 333 थे। जो कि बहुत बडा रकबा था। उस समय उक्त खसरे में तरमीम नहीं हो रही थी। लेकिन ऑन लाईन के बाद में पूर्व खसरा सं. 333 के वर्तमान में तीन टुकडे कर दिये है। जिसके वर्तमान खसरा स. 606/333, 607/333, 608/333 है जो वर्तमान में राजस्व रिकोर्ड में तरमीम हैं। प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा सं. 607/333 रकबा 0.8498 हैक्टे., खसरा सं. 370 जो कि गैर मुमकिन रास्ता के नजदीक में स्थित है, खसरा सं. 607/333, के दक्षिण में खसरा सं. 608/333, पश्चिम में खसरा सं. 606/333 विस्थित है। लेकिन प्रार्थी वर्तमान में गैर मुमकिन रास्ते के पस काबिज है। लेकिन राजस्व रिकोर्ड में ऑन लाईन नक्शा तरमीम करते समय प्रार्थी की कृषि भूमि को खसरा सं. 606/333 के बाद में राजस्व रिकोर्ड में दर्ज कर दिया गया है। जो कि गलत किया गया है। जबकि प्रार्थी रोड के पास काबिज होकर काश्त कर रहा है। तालेडा तहसील व उप तहसील डाबी में खातेदारी भूमियों के रकमें व खसरा नक्शा ट्रेस के तरमीम बीघा व बिस्वा से हैक्टयेर में वरिवर्तन करते हुऐ राजस्व रिकोर्ड व नक्शा तरमीम का कार्य ऑनलाईन पूर्ण कर लिया गया हैं। प्रार्थी ने दिनांक 22.12.2022 को प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित भूमि की नक्शा ट्रेस की ऑन लाईन कम्प्युट्रीकृत प्रतिलिपि प्राप्त की, जिसमें प्रार्थी की भूमि को राजस्व नक्शें में भौतिक स्थिति के अनुसार तरमीम नहीं किया गया है। प्रार्थी की भूमि को खसरास . 608/333 के बाद में तरमीम किया गया हे जो कि गलत है। जबकि प्रार्थी की भूमि रोड के नजदीक है। जहां पर प्रार्थी काबिज काश्त है। इसलिए जहां पर वर्तमान में प्रार्थी व अप्रार्थी भौतिक स्थिति के हिसाब से जहां काबिज है। उसको सही तरमीम किया जावे। प्रार्थी को अधिकार है कि ख.सं.607/333 को खसरा सं. 608/333 के बाद में की गई तरमीम को निरस्त किया जाये और प्रार्थी के कब्जे के अनुरूप ख.सं.607/333 को तरमीम किया जावे। प्रार्थी को उक्त तरमीम की जानकारी दिनांक 22.12.2022 को ऑनलाईन नक्शे की प्रतिलिपि लेने पर हुई थी। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की भूमि ख.सं.0 607/333 ऑन लाईन नक्शे में की गई अवैध तरमीम को निरस्त किया जाकर मौके पर भौतिक रूप से

Scanned with OKEN Scanner

के अनुरूप राजस्व रिकोर्ड नक्शे में ख.सं. 607/333 की नवीन तरमीम किया जाने का आदेश प्रदान किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी हो प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी 1,2,4,5 व 6 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। अप्रार्थी सं0 3 तहसीलदार तालेडा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया कि भू अभिलेख निरीक्षक वृत तालेडा एवं पटवारी हल्का ठीकरिया चारणान द्वारा प्रेषित ग्राम कराड का बरधा के आराजी खं0 नं0 333 की तरमीम शुद्धि से सम्बन्धित संयुक्त रेकार्ड व मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार नामान्तकरण जिल्द ग्राम कराड का बरधा के नामान्तकरण संख्या 316 के अनुसार आराजी खं0सं0 59,72,87,90,184,233,236,281,282,302,304,319,333,337 कुल किता 14 कुल रकबा 44.06 बीघा भूमि पर वर्ष 2011 में सहमति बंटवारा होना पाया गया। नामान्तकरण सं0 306 से आराजी खं0नं0 333 रकबा 15.16 बीघा को 3 भागों में विभाजित किया गया। सहमति बंटवारे के समय प्रस्तावित नक्शा अनुसार ऑनलाइन नक्शे में तरमीम हुई है। वक्त मौका निरिक्षण प्रस्तावित नक्शे के अनुसार काबिज होना पाया किन्तु खं0 सं0 607/333 तथा 608/333 के खातेदार बंटवारा पत्र के अनुसार हुई ऑनलाइन तरमीम के अनुरूप काबिज काश्त होना नहीं पाया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये वर्तमान कब्जे अनुसार तरमीम सही करने का निवेदन किया। दोराने बहस सहमति बंटवारा होना स्वीकार करते हुये सहमति बंटवारे के समय तरमीम का नक्शा गलत होना बताया गया जिसे दुरूस्त करने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार द्वारा दोराने बहस निवेदन किया कि राजस्व रेकार्ड नक्शा तरमीम में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की गयी है। खातेदारान द्वारा आपसी सहमति से बंटवारानुसार ही नक्शा तरमीम वर्तमान में स्थित है किन्तु प्रार्थीगण सहमति बंटवारा में हुए बंटवारे अनुसार काबिज काश्त नहीं होकर भिन्न रूप से काबिज काश्त है। मौके पर काबिज काश्त अनुसार तरमीम परिवर्तन करवाये जाने का कोई प्रावधान राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131/136 में निहित नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकरन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि प्रार्थीगण के राजस्व रिकार्ड में तरमीम सहमति बंटवारे के आधार पर तत्समय सही की गयी थीं जो ऑनलाइन भू-नक्शा में तदनुरूप अंकित है। खातेदार आपसी सहमति से अपना स्थान परिवर्तन/काबिज काश्त की स्थिति को स्वेच्छा/बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये परिवर्तन करते है तो उक्तानुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131/136 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131/136 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 29/10/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइसलाज सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned with OKEN Scanner